

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

“सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 19/08/2009 का कार्यवाही विवरण”

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के अधीन कार्यालय संयुक्त निदेशक जोन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों/लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 19/08/09 को वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की गई। उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची परिशिष्ट “अ” पर संलग्न है। जिन सहायक लेखाधिकारियों द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया उनको कारण बताओ नोटिस वरिष्ठ लेखाधिकारी (अकेक्षण) द्वारा जारी किया जायगा। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिये गये :-

क्र.सं.	बिन्दू जिस पर चर्चा हुई	निर्णय लिया गया	अनुपालना जिसके द्वारा की जानी है
1.	निर्धारित प्रपत्र 1 से 8 की सूचना व व्यय मानचित्र, व भुगतान बजट प्रावधान बाबत	सूचनाओं यथा (प्रपत्र 1 से 8) व्यय विवरण, अनुपयोगी सामान के निस्तारण, पेंशन प्रकरण, भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र इत्यादि के प्रेषण में आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सलाहकार महोदय ने निर्देश दिये कि आगामी माह में सभी अधीनस्थ कार्यालयों के सहायक लेखाधिकारी/लेखाकर्मियों सूचनाएं हार्ड कॉपी के साथ कम्प्यूटर फ्लॉपी में तैयार कर 5 तारीख तक संबंधित संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। तथा सहायक लेखाधिकारी संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय प्राप्त सूचना को संकलित कर मय कम्प्यूटर फ्लॉपी के साथ माहवारी बैठक से पूर्व वित्तीय सलाहकार महोदय को भिजवायेंगे एवं इसकी एक प्रति बैठक के दौरान साथ लेकर आयेंगे। इस मीटिंग में केवल बीकानेर एवं भरतपुर जोन से ही फ्लॉपी प्राप्त हुई है शेष जोन से फ्लॉपी प्राप्त नहीं हुई। इस मीटिंग में अजमेर जोन में टोंक जिले का प्रपत्र 7स प्राप्त नहीं हुआ। जयपुर जोन में जयपुर द्वितीय, सीकर, दौसा, अलवर के प्रपत्र 7 अ.ब.स प्राप्त नहीं हुये। उदयपुर जोन में प्रतापगढ़ का प्रपत्र 7स प्राप्त नहीं हुआ एवं पीएमओ, नाथद्वारा के अलावा किसी पीएमओ का प्रपत्र 7 अ.ब.स प्राप्त नहीं हुआ। जोधपुर जोन में जालौर के अतिरिक्त किसी जिले का प्रपत्र 7 अ.ब.स प्राप्त नहीं हुआ। बीकानेर, कोटा, भरतपुर जोन के प्रपत्र 7 अ.ब.स प्राप्त हो गये।	(1) समस्त संयुक्त निदेशक एवं सहायक लेखाधिकारी जोन व समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं सहायक लेखाधिकारी कार्यालय।
2.	अनुपयोगी/बेसी वाहनों एवं सामानों के सर्वे एवं निस्तारण संबंधी सूचना बाबत	जयपुर जोन में 05 वाहनों का सर्वे बकाया है जबकि एक वाहन सर्वशुदा है व नाकारा घोषित किये जाने की स्वीकृति जारी कराई जानी है। गत माह में दो वाहनों का पूर्ण निस्तारण किया गया। अब 10 सितम्बर तक इन 5 वाहनों का सर्वे कराकर सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव भिजवाकर इन सभी 6 वाहनों को नाकारा घोषित कराया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृति पश्चात् इन्हें मोटर गैराज में जमा की कार्यवाही भी तत्काल करना सुनिश्चित करें।	श्री शौकत अली, सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक जोन जयपुर सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी, मु.चि. एवं स्वा.अ. से समन्वय कर कार्यवाही करायेंगे।

अजमेर जोन में सर्वे हेतु कोई वाहन शेष नहीं है। 10 वाहन नाकारा घोषित किये हुये है जिन्हें दिनांक 31 अगस्त 2009 तक स्टेट मोटर गैराज में जमा कराना सुनिश्चित करें। 23 वाहन सर्वेशुदा है जिन्हें नाकारा घोषित किया जाना है इनके प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को इन्हें नाकारा घोषित किये जाने हेतु 31 अगस्त 2009 तक भिजवाना सुनिश्चित करें एवं जैसे ही इन्हें नाकारा घोषित करने की स्वीकृति प्राप्त होती है इन्हें मोटर गैराज में जमा करावे अन्यथा यथास्थान नीलाम करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

श्री महेन्द्र कुमार बसल, स.ले. एवं संयुक्त निदेशक जोन अजमेर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।

भरतपुर जोन में 18 वाहनों का सर्वे हेतु बकाया है जिसे 31 अगस्त 2009 तक पूर्ण करायेगे। 35 वाहन सर्वेशुदा है। जिनमें से 13 वाहनों को नाकारा घोषित किया जा चुका है, शेष 22 वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को 31 अगस्त 2009 तक भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं निदेशालय को भी अवगत करायेगे एवं नाकारा घोषित हो चुके 13 वाहनों को स्टेट स्टेट मोटर गैराज में जमा करवाने की कार्यवाही करेंगे अथवा यथास्थान नीलाम किये जाने की कार्यवाही 31 अगस्त 2009 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता, स.ले. एवं संयुक्त निदेशक जोन भरतपुर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेगे।

जोधपुर जोन में 43 वाहनों का सर्वे बकाया है जिसे 31 अगस्त 2009 तक पूर्ण करायेगे। नाकारा घोषित 34 वाहनों में से 20 का पूर्ण निस्तारण किया जा चुका है शेष 14 को भी स्टेट मोटर गैराज में जमा करावे अन्यथा यथास्थान नीलामी की कार्यवाही 31 अगस्त 2009 तक पूर्ण करायेगे। सर्वेशुदा 25 वाहनों को नाकारा घोषित कराने के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को 31 अगस्त 2009 तक भिजवाकर निदेशालय को अवगत करायेगे। श्री श्याम सुन्दर किराडू सहायक लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर 31 अगस्त 2009 तक बाडमेर एवं जैसलमेर जाकर बकाया सर्वे के कार्य को गति प्रदान करायेगे।

श्री श्याम सुन्दर किराडू सहा. लेखा. कार्या. मु.चि.एवं स्वा. अधि. बीकानेर कार्यवाही सम्पन्न करायेगे।

श्री राम प्रकाश शर्मा, सहा. लेखाधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, जोन-जोधपुर सम्बन्धित मु.चि.एवं स्वा.अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेगे।

बीकानेर जोन में 12 वाहनों का सर्वे बकाया है जिसे 31 अगस्त 2009 तक पूर्ण करायेगे। नाकारा घोषित 15 वाहनों को 31/08/2009 तक स्टेट मोटर गैराज में जमा करावे अथवा यथास्थान नीलामी की कार्यवाही पूर्ण करवायेगे। सर्वेशुदा 16 वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को 31/08/2009 तक भिजवाकर निदेशालय को अवगत करायेगे। श्री रामप्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर दिनांक 26/08/2009 को श्री गंगानगर सर्वे हेतु जायेगे। सी. एच.सी. गंजनेर की एक गाड़ी का सर्वे कार्य श्री किराडू सहायक-लेखाधिकारी, कार्या. मु. चि. एवं स्वा. अधि. बीकानेर दिनांक 30/08/2009 तक पूर्ण करायेगे।

श्री भैरूलाल छगानी, सहा. लेखा. मु.चि. एवं स्वा. अधि. एवं संयुक्त निदेशक जोन बीकानेर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेगे।

श्री राम प्रकाश शर्मा, सहा. लेखाधिकारी

श्री श्याम सुन्दर किराडू

सहा. लेखाधिकारी

उदयपुर जोन में 25 वाहनों का सर्वे बकाया है जिसे 31 अगस्त 09 तक पूर्ण करायेगे। 35 वाहनों को नाकारा घोषित किया जा चुका है जिन्हें 31/08/2009 तक स्टेट मोटर गैराज में जमा कराने अथवा यथास्थान नीलामी कराने की कार्यवाही सम्पन्न करायेगे। 32 सर्वेशुदा वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को 31/08/2009 तक भिजवाकर निदेशालय को अवगत करायेगे। इस जोन में अनुपयोगी वाहनों एवं सामानों के निस्तारण की प्रगति सन्तोषजनक

श्री अजय कुमार भार्गव स.ले. एवं संयुक्त निदेशक जोन उदयपुर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेगे।

		नहीं रही। अतः इसमें गति लायी जाने की आवश्यकता है।	
		कोटा जोन में 4 वाहनों का सर्वे बकाया है जिसे 31 अगस्त 09 तक पूर्ण करायेगें। 24 वाहनों को नाकारा घोषित किया जा चुका है जिन्हें 31/08/2009 तक स्टेट मोटर गैराज में जमा कराने अथवा यथास्थान नीलामी कराने की कार्यवाही सम्पन्न करायेगें। 12 सर्वशुदा वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को 31/08/2009 तक भिजवाकर निदेशालय को अवगत करायेगें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारा के 20 वाहनों का पूर्ण निस्तारण 15/09/2009 तक किये जाने के पूर्ण प्रयास किये जावेंगे।	श्री मनोहरलाल, स.ले. एवं संयुक्त निदेशक जोन कोटा संबन्धित मु.चि.एवं स्वा.अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेगें।
		सभी चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थानों में अनुपयोगी सामानों की सूचियां यथा (1) नीलामी योग्य सामान जिनकी अवधि निर्धारित है एवं पूर्ण हो चुकी है। (2) नीलामी योग्य सामान जिनकी अवधि निर्धारित है परन्तु पूर्ण नहीं हुई है। (3) नीलामी योग्य सामान जिनकी अवधि निर्धारित नहीं है। (4) नष्टीकरण वाले सामान जिनकी अवधि निर्धारित है एवं पूर्ण कर ली है। (5) नष्टीकरण वाले सामान जिनकी अवधि निर्धारित है परन्तु पूर्ण नहीं की है। (6) नष्टीकरण वाले सामान जिनकी अवधि निर्धारित नहीं है, उक्त समस्त श्रेणी की सूचियां दिनांक 31 अगस्त 2009 तक पूर्ण की जावें अपने स्वयं के कार्यालय की 10 सितम्बर तक पूर्ण की जावे। ताकि इनके निस्तारण की कार्यवाही प्रारम्भ हो सके। सूचियां तैयार होते ही इन सामानों का सर्वे हेतु कमेटी सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम पार्ट- II के नियम 18 के अनुसार एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: प 6 (1) वित्त/सा.वि.ले.नि./2005 दिनांक 21.05.09 के अनुसार गठन किया जावें।	समस्त सहायक लेखाधिकारी एवं समस्त कार्यालयाध्यक्ष
3.	भौतिक सत्यापन पत्र प्रमाण पत्र की सूचना बाबत	वर्ष 2008-09 का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जोन कोटा एवं निदेशालय का प्राप्त हुआ है शेष जोनों का प्राप्त नहीं हुआ है। अतः 31/08/2009 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।	समस्त संयुक्त निदेशक जोन (भरतपुर जोन को छोड़कर) तथा सहा. लेखाधिकारी जोन, एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण) समन्वय करेंगे।
4.	स्टोर एवं स्टॉक संबंधी प्रमाण पत्र की सूचना बाबत	वर्ष 2008-09 का स्टोर एवं स्टॉक लेखा प्रमाण पत्र जोन भरतपुर एवं बीकानेर का ही प्राप्त हुआ है। शेष जोनों का एवं निदेशालय का स्टोर स्टॉक लेखा प्रमाण-पत्र को दिनांक 31/08/09 तक वित्तीय सलाहकार को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।	समस्त सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक जोन तथा श्री किशनलाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी निदेशालय समन्वय करेंगे।
5.	महालेखाकार, अंकेक्षण प्रतिवेदन के बकाया आक्षेप	जिन कार्यालयों द्वारा महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदनों, आन्तरिक जांच एवं विशेष जांच एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की प्रथम अनुपालना नहीं भिजवायी है वे अनुपालनाएं तैयार कर दिनांक 10 सितम्बर 2009 तक वित्तीय सलाहकार (जन. स्वा.) को	समस्त स.ले. कार्यालय मु.चि. एवं स्वा.अधि. एवं समस्त स.ले. संयुक्त निदेशक (जोन) एवं श्री किशन लाल शर्मा,

		आवश्यक रूप से भिजवायेंगे।	सहायक लेखाधिकारी, अंकेक्षण समन्वय करेंगे।
		प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुवा महालेखाकार की जांच रिपोर्ट 4/05 से 3/08 एवं आंतरिक जांच रिपोर्ट 11/95 से 3/07 की अनुपालना नहीं भिजवा रहे हैं। अतः वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण) मुख्यालय अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर उक्त अनुपालना दिनांक 10 सितम्बर 2009 तक आवश्यक रूप से मंगवायें जाने की कार्यवाही करेंगे।	डॉ. होशियार सिंह, व. ले. (ऑडिट) मुख्यालय।
6.	बकाया पेन्शन प्रकरण	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) की प्रपत्र 1, 4, 8 तथा अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) की प्रपत्र 1 व 4 की पेन्शन सूचना अप्राप्त है। इसी प्रकार संयुक्त निदेशक, जोन-जोधपुर का माह मई 2009 से प्रपत्र 1, 4, व 8 की सूचना प्राप्त नहीं हो रही है इससे पेन्शन की सूचना का संकलन करने में कठिनाई आती है तथा समय पर पेन्शनरों के प्रकरण तथा मृत आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।	अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अरापत्रित) मुख्यालय। संयुक्त निदेशक (जोन) जोधपुर एवं
7.	चोरी गबन प्रकरण	दिनांक 19/08/2009 की मासिक मीटिंग में किसी भी जिले से चोरी गबन के प्रकरणों की तथ्यात्मक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। यह आगामी मीटिंग 16/09/2009 को व्यक्तिशः लेकर आवे। महालेखाकार के यहां पंजीकृत चोरी गबन केसेज की सूची सलग्न है। परिशिष्ट 3, 4	समस्त संयुक्त निदेशक -जोन एवं समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं समस्त सहायक लेखाधिकारी, मु.चि. एवं स्वा. अधि. एवं जोन कार्यालय।
8.	विशेष जांच प्रतिवेदन	विशेष जांच प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु जोन स्तर पर केम्प आयोजित होंगे। माह सितम्बर 2009 में जोन उदयपुर एवं जोन भरतपुर में रखे जायेंगे जिनकी तिथियां अलग से सूचित कर दी जायेगी सभी आन्तरिक जांच, विशेष जांच, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एवं महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों की अनुपालनाएं तैयार कर केम्पों में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।	संयुक्त निदेशक जोन-भरतपुर एवं उदयपुर एवं श्री अजय भार्गव, सहा. लेखाधिकारी, श्री योगेन्द्र गुप्ता, सहा. लेखाधिकारी
8.	सामान्य बिन्दु	1. जिन लेखा कार्मिकों ने अपनी वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं दी है वे 31 अगस्त तक आवश्यक रूप से मूल्यांकन हेतु निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। 2. वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु आवंटित बजट राशि का आनुपातिक रूप से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें किसी प्रकार के क्लेम बकाया नहीं रखे। क्लेम बकाया होने पर अतिरिक्त आवंटन की मांग करें। 3. चिकित्सा व्यय एवं यात्रा भत्ता के बिलों हेतु भुगतान प्राथमिकता रजिस्टर (जी.ए.-66) के अनुसार संधारित किया जाकर वरियता अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। 4. आन्तरिक जांच दल के कार्मिकों के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित किया जायें। 5. भेषज एवं औषधियों और औजार एवं उपकरणों के क्रय के मामलों में सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी,	समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं समस्त संयुक्त निदेशक जोन, समस्त सहायक लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं जोन कार्यालय। -यथा- -यथा-

- क्रमांक 2346 दिनांक 16/07/2007 की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. अस्पताल परिसर के राजकीय आवासों के आवंटन की नीति की कार्यवाही प्रक्रियाद्वीन है। अतः भविष्य में आवासों का आवंटन तदनुसार किया जावे।
 7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर चिकित्सालय परिसरों में संचालित उपभोक्ता संघ की दूकानों का किराया निर्धारण कराकर किराये की वसूली किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 8. निदेशक महोदय (जन स्वा.) ने जिले में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने कार्यालयाध्यक्ष को नियमों के अन्तर्गत पूर्ण सहयोग करे, कर्मचारियों के क्लेम एवं बकाया कार्यों को त्वरित गति से निपटार एवं जिले की संस्थाओं में वित्तीय नियंत्रण रखते हुए कम से कम 2-3 संस्थाओं का निरीक्षण करे एवं अनियमितताएं होने से रोके। आवश्यक रेकार्ड के रख-रखाव हेतु निर्देशित करे एवं संस्थाओं की वित्तीय समस्याओं के निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
 9. निदेशक महोदय (प.क.) ने चाहा है कि जिले में एन. आर.एच.एम. से संबंधित कार्यों की पत्रावलियां सहायक लेखाधिकारी के माध्यम से रूट होगी। यदि किसी जिले में ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही हो तो उन्हें अवगत करायेगे। एन.आर.एच.एम. के कार्यों में सहायक लेखाधिकारी पूर्ण सहयोग करे तथा संयुक्त निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें। भ्रमण हेतु वाहन एन.आर.एच.एम. से उपलब्ध कराने के लिये परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। पुराने वाहनों एवं सामानों के निस्तारण व एम.आर.एस. में प्राप्तियों की विशेष निगरानी की जावे।
 10. सेवानिवृत्त DE/PE Pending कर्मिकों को नियमानुसार प्रोविजनल पेन्शन दिलवाने की संबंधित कार्यालय द्वारा कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा सेवानिवृत्त कर्मिकों को पेंशन कुलक आदि की कार्यवाही हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा पंजीकृत पत्र लिखा जावे एवं समय-समय पर निदेशालय को भी सूचित किया जावे।
 11. डॉ. पुष्पलता कोठारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना के बकाया क्वार्टर किराया की वसूली तुरन्त प्रभाव से की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
 12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय स्तर पर सभी कार्यालयाध्यक्ष की मासिक मीटिंग बुलाई जावे जिसमें वे अपने कार्यालय की सभी निरीक्षण प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों की अनुपालना लेकर आवे एवं सभी निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुपालनाओं को संकलित कर इन्हें निदेशालय में सहायक लेखाधिकारी निदेशालय मीटिंग में लेकर आवे।
 13. जिन कार्यालयों में अनुपयागी वाहनों, सामानों का निस्तारण हो गया है एवं उनसे संबंधित किसी भी प्रतिवेदन में आक्षेप है तो उसकी अनुपालना तुरन्त भेजी जावे।

-यथा-

-यथा-

प्रमुख चिकित्सा
अधिकारी नागौर

समस्त सहा.
लेखाधिकारी, कार्यालय
संयुक्त निदेशक एवं मु.
चि. एवं स्वा. अधि.

-यथा-

समस्त मु.चि. एवं स्वा.
अधि. एवं समस्त
सहायक लेखाधिकारी (मु.
चि. एवं स्वा.अधि.)

सहा. लेखाधिकारी, मु.
चि. एवं स्वा. अधि.
भरतपुर

सभी मु. चि. एवं स्वा.
अधि. एवं सभी सहायक
लेखाधिकारी, कार्यालय
मु. चि. एवं स्वा. अधि.

सभी मु. चि. एवं स्वा.
अधि. एवं सभी सहायक
लेखाधिकारी, कार्यालय

14. उदयपुर वाटी के पूर्व स्टोर क्रीपर से कम संभलवाये गये सामान की कीमत निर्धारित कर बसूली प्रारम्भ की जावे।

मु. चि. एवं स्वा. अधि.
मु. चि. एवं स्वा. अधि.
झुन्झुनू एवं सहां. लेखा.
काया. मु. चि. एवं स्वा.
अधि.

आगामी मासिक बैठक दिनांक 16/09/2009 को 11 बजे "मध्याह्न-पूर्व" आयोजित की जावेगी जिसका ऐजेण्डा पूर्व पत्र क्रमांक लेखा/मु./मा.मि./2008/986 दिनांक 05.08.08 द्वारा प्रेषित अनुसार यथावत रहेगा।

बैठक का वरिष्ठ लेखाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया।

सलंगन : पृष्ठ -

(डॉ. होशियार सिंह)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर
फोन नं. 0141-2221965

क्रमांक : लेखा/बैठक/09/ 5101

दिनांक : 1-9-2009

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित), मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आर.एच.एस.डी.पी./मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आई.ई.सी. मुख्यालय।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, मुख्यालय।
8. डॉ. एस. के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थिति वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
9. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला।
11. सहायक लेखाधिकारी, बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार, मुख्यालय, जयपुर।
12. प्रभारी, सर्वर, कृपया इस कार्यवाही विवरण को विभाग की वेब-साइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
13. केयर टेकर, (कृपया दिनांक 17/07/2009 को प्रातः 11.00 बजे से हॉल से आरक्षित करें।)
14. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर


सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक

निदेशालय में आयोजित - मासिक मीटिंग दिनांक 19/08/2009 को उपस्थित सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार
(उपस्थिति प्रमाण-पत्र)

क्र.सं.	नाम, पद एवं मोबाइल नं.	दूरभाष नं.			कार्यालय का नाम	उपस्थिति विवरण
		मोबाइल नं.	कार्यालय	आवास		
1.	श्री दिनेश भारद्वाज, स.ले.	9829815786	0141-2226100		संयुक्त निदेशक, चि. एवं. स्वा. जोन-जयपुर	निदेशालय में प्रतिनियुक्त
2.	श्री एम. के. बंसल, स.ले.	9252160380	0145-2627621		संयुक्त निदेशक, अजमेर	
3.	श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता, स.ले.	9414320526	05644-225152		संयुक्त निदेशक, भरतपुर	
4.	श्री भैरू स्तन छंगानी, स0ले0	9414203308	151-2226339		संयुक्त निदेशक, बीकानेर	विकलांग अनुमत श्याम सुन्दर किराडू
5.	श्री रामप्रकाश शर्मा, स.ले.(अ.कार्यभार)	9414913864	0291-2721436	0291-2543003	संयुक्त निदेशक, जोधपुर	
6.	श्री मनोहर लाल शर्मा, स.ले.	9928654910	0744-2320961		संयुक्त निदेशक, कोटा	
7.	श्री अजय कुमार भार्गव, स.ले.	9460257748	0294-2422017		संयुक्त निदेशक, उदयपुर	
8.	श्री शौकत अली, स.ले.	9829258734	0141-2605858		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जयपुर-1	दुर्घटना अनुमत महेश कुमार, क.ले.
9.	श्री रविप्रकाश शर्मा, स.ले.	9887600581	0141-2603426		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जयपुर-11	
10.	श्री एम. एल. बंटबाड़ा, स.ले.	9828234846	0144-2340145		मु. चि. एवं स्वा. अधि, अलवर	
11.	श्री आर. एल. मीणा, स.ले.	9414820154	01427-230077		मु. चि. एवं स्वा. अधि, दौसा	अनुमत ए.के. कौशिक, क.ले.
12.	श्री जे. पी. यादव, स.ले.		01572-270446	01572-253836	मु. चि. एवं स्वा. अधि, सीकर	
13.	श्री गुगन राम, स.ले.	9414801431	01592-232415	01592-233115	मु. चि. एवं स्वा. अधि, झुन्झुनू	
14.	श्री एस.आर. चौहान, स.ले.	9829292139	0145-2631111		मु. चि. एवं स्वा. अधि, अजमेर	
15.	श्री नरेन्द्र व्यास, स.ले.	9001898600	01582-240844		मु. चि. एवं स्वा. अधि, नागौर	स्वैच्छिक सेवानिवृत्त मनोहर लाल मांडण, क.ले.
16.	श्री रमेश मण्डोरा, स.ले.	9214631670	01482-235643		मु. चि. एवं स्वा. अधि, भीलवाड़ा	
17.	श्री ताराचन्द अग्रवाल, स.ले.	9414868911	01432-244099		मु. चि. एवं स्वा. अधि, टोंक	
18.	श्री सतीश चन्द जैन, स.ले.		05644-223660		मु. चि. एवं स्वा. अधि, भरतपुर	स्वैच्छिक सेवानिवृत्त
19.	श्री महेश चन्द गुप्ता, स.ले.	9887453489	07464-220150	07469-209983	मु. चि. एवं स्वा. अधि, करौली	
20.	श्री सुभाष चन्द गौतम, स.ले.	9785927878	05642-220733	9785927878	मु. चि. एवं स्वा. अधि, धौलपुर	

21.	श्री कमलेश अग्रवाल, स.ले.	9413023916	07462-235011		मु. चि. एवं स्वा. अधि, सवाईमाधोपुर	
22.	श्री श्याम सुन्दर किराडू, स.ले.	9950214704	0151-2226341		मु. चि. एवं स्वा. अधि, बीकानेर	
23.	श्री ओमप्रकाश चौधरी, स.ले.	9352715688	01562-222038		मु. चि. एवं स्वा. अधि, रतनगढ (घुरु)	
24.	श्री वी.एम. कुक्कड, स.ले.	9828569622	0154-2445071		मु. चि. एवं स्वा. अधि, श्रीगंगानगर	
25.	श्री लीलाधर शर्मा, स.ले.	9887871921	01552-261190		मु. चि. एवं स्वा. अधि, हनुमानगढ	
26.	श्री रामप्रकाश शर्मा, स.ले.	9414913864	0291-2721436		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जोधपुर	
27.	श्री श्याम लाल पंवार, क.ले.	9460806577	02992-251792		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जैसलमेर	रिक्त पद
28.	श्री मांगीलाल, क.लि.	9882027841	02982-230462	02982-230462	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बाडमेर	
29.	श्री रतनाराम चौधरी, लेखाकार(अ. कार्यभार)	9414526154	02973-258555		मु. चि. एवं स्वा. अधि, पाली	
30.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा, स.ले.	9414544449	02972-222259		मु. चि. एवं स्वा. अधि, सिरोही	
31.	श्री भंवरलाल स.ले.	9799493555	02973-222246		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जालौर	अनुमत
32.	श्री एन. के. बैरवा, स.ले.	9414991011	0744-2450374		मु. चि. एवं स्वा. अधि, कोटा	अवकाश पर, शिव शंकर शर्मा, क.ले.
33.	श्री	9414066632	07453-230451	07453-230332	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बांरा	रिक्त पद
34.	श्री महावीर प्रसाद गोयल, स.ले.		0747-2442895	0747-2447076	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बूंदी	अवकाश पर तरुण कुमार जैन, क.ले.
35.	श्री श्याम लाल मीण, लेखाकार, जोन-कोटा (अतिरिक्त कार्यभार)	9928654910	07432-230009		मु. चि. एवं स्वा. अधि, झालावाड	
36.	श्री अजय कुमार भागवत, स.ले. (अ. कार्यभार)	9413174655	0294-2415538	0294-2526666	मु. चि. एवं स्वा. अधि, उदयपुर	रिक्त पद जयशंकर, क.ले.
37.	श्री जगदीश भावसर, स.ले.	9983540585	02962-251303	9414307100	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बांसवाडा	अनुमत अयाजुद्दीन शेख, क.ले.
38.	श्री करण सिंह राव, स.ले.	9414723790	02964-232486	02964-231182	मु. चि. एवं स्वा. अधि, डूंगरपुर	अनुपस्थित
39.	श्री विमल कुमार पाटनी, स.ले. (PHED), अतिरिक्त कार्यभार	9413275418	01472-243418	9413604565	मु. चि. एवं स्वा. अधि, चित्तौडगढ	
40.	श्री गोपाल लाल, स.ले.	9414872014	01476-222564	01478-223368	मु. चि. एवं स्वा. अधि, प्रतापगढ	
41.	श्री एम. बी. तमोली स.ले.	9460612243	02952-221716		मु. चि. एवं स्वा. अधि, राजसमन्द	

नोट :- 1. उपरोक्त उपस्थिति विवरण ही उपस्थिति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।



वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, राजस्थान, जयपुर
जोन में अनुमानित चालू व नाकारा घोषित वाहनों का विवरण
(वर्ष 1/04/2009 से 30.07.2009 तक)

समेकित प्रपत्र -

कार्यालय का नाम : निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, राजस्थान, जयपुर

(वित्तीय वर्ष 2009-10)

क्र. सं.	जोन के अन्तर्गत जिला मु.चि. एवं स्वा. अधि. / प्रमुख चि. अ. कार्यालय का नाम	ऑन रोड वाहनों की संख्या दिनांक 1.04.09 तक	ऑफ रोड/ दुर्घटनाग्रस्त अनुमानित नवीन वाहनों की संख्या दिनांक 1.04.09 तक	इस माह तक प्राप्त वाहनों की संख्या व स्रोत	जोन में वाहनों की कुल संख्या (3+4+5)	ऑफ रोड वाहनों में से सर्व शुदा वाहनों की संख्या	सर्व हेतु बकाया वाहनों की संख्या (4-7)	इस माह तक नाकारा घोषित किये वाहनों की संख्या	सर्वशुदा अनुपयोगी घोषित होने वाले बकाया कुल वाहन (7-9)	मोटर गैराज में जमा कराये वाहनों की संख्या	कमेटी द्वारा नीलाम किये वाहनों की संख्या	कुल निस्तारित वाहनों की संख्या (11+12)	मोटर गैराज में जमा हेतु अथवा कमेटी द्वारा नीलामी हेतु बकाया वाहनों की संख्या (9-13)	मोटर गैराज से प्राप्त आय (राशि रु.)	कमेटी द्वारा नीलामी से प्राप्त आय (राशि रु.)	कुल आ (15+ (राशि में :
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	भरतपुर	80	53	-	133	35	18	13	22	-	-	-	10	-	88920	889
2.	जयपुर	133	09	-	142	04	05	03	01	01	01	02	01	-	48408	484
3.	अजमेर	116	39	01	156	39	-	16	23	06	-	06	10	-	-	-
4.	बीकानेर	97	43	02	142	31	12	15	16	-	-	-	15	-	-	-
5.	जोधपुर	179	102	17	298	59	43	34	25	10	10	20	14	-	285864	285
6.	कोटा	112	40	-	152	36	04	24	12	02	-	02	22	-	-	-
7.	उदयपुर	160	92	03	255	67	25	35	32	-	-	-	35	-	-	-
	कुल योग :-	877	378	23	1278	271	107	140	131	19	14	33	107	-	423192	423

सहायक लेखाधिकारी
कार्या. निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान, जयपुर

AS On 30-6-2011

परिशिष्ट

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
विभाग के महालेखाकार कार्यालय में पंजीकृत चोरी प्रकरणों की सूची

क्र.सं.	महालेखाकार में पंजीकृत प्रकरण सं.	कार्यालय का नाम	राशि
1	89	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	0
2	109	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	381422
3	187	प्रा. स्वा. केन्द्र, हिन्दोनसिटि (खैराई माधोपुर)	43466
4	321	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (मलेरिया) भरतपुर	0
5	1427	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	343500
6	1440	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर	89322
7	1442	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटपूतली	362526
8	1537	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अकलेरा (झालावाड)	853627
9	1570	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बेगू (चित्तोड़गढ़)	7800
10	1689	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग, (भरतपुर)	60000
11	1816	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रा.चि. झालावाड	19000
12	1903	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांस	16233
13	1636	ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांकरोली, (राजसमंद) (प.क.)	7230
14	1888	महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर	90000
		योग	22274126

2008 On 30.6.09 (20)
परिशिष्ट 4 (12)

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजधानी, जयपुर

विभाग से सम्बन्धित गबन प्रकरणों की सूची जिन पर अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है

क्र.सं.	एजी केस नं.	कार्यालय का नाम	राशि (रुपये में)	
1	1813	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़	53505	प्रकरण समाप्त हो गया है
2	2334	क्षय निवारण केन्द्र, बीकानेर	38444	संश्लेषण के बाद को प्रमाणित किया गया है
3	2654	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	202064	विभागीय जांच लांबित
4	2675	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	141506	do
5	2685	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	949145	do
6	2834	जिजा कृष्ण रोग अधिकारी, नागौर	20073	नए ली टेडु लिला अण
7	2881	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देड़ (बून्दी)	20000	भागालय के विभागीय
8	2924	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भणू (चित्तौड़गढ़)	56177	do
9	2929	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़	377590	do
10	2930	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खमनौर	100022	do
11	2939	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीपाड शहर	30288	विभागीय जांच की जा रही है
12	2940	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (स्वास्थ्य) जोधपुर	105860	नए ली की जांच की जा रही है
13	2947	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	8792	विभागीय जांच की जा रही है
14	3050	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डली (बाजमेर)	252855	नए ली की जांच की जा रही है
15	3066	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (मलेरिया) सीकर	2630	भागालय के विभागीय
16	3069	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारु (धरु)	21185	प्रकरण समाप्त हो चुका है
17	3087	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कूदन (सीकर)	362127	भागालय के विभागीय
18	3169	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंडावर (अलवर)	187338	do
19	3177	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मूलियाकला, (भीलवाड़ा)	1395836	do
20	3182	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिलाय (टोंक)	82410	नए ली की जांच की जा रही है
21	3183	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलीदी	722500	विभागीय जांच लांबित
22	3235	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किलवाड़ा, (डूंगरपुर)	30414	do
23	3317	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलवर	3297835	भागालय के विभागीय
24	3323	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर (राजमठ)	570867	do
25	3324	व.चि. अधिकारी, सामु.स्वा. केन्द्र, डूंगला (प्रतापगढ़)	12507	do
26	3334	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किलवाड़ा, बारां	60688	do
27	3344	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहबाद, बारां	816252	do
		योग	9916710	